न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़।

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार, मीणा आर.ए.एस

प्रकरण नं :– 48/2020 दायरा दिनांक :– 09.07.2020

1. रविन्द्रकुमार पुत्र श्री भगवानदास
2. रिद्विरानी पत्नी रविन्द्रकुमार

} जाति अरोड़ा साकिन वार्ड न 41 पुराना वार्ड न 15 सूरतगढ तह. सूरतगढ।

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: उपस्थित :–

1. श्री शिशपाल शर्मा एडवोकेट –प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार –अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 13/10/2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया कि प्रार्थी न 1 के नाम से चक 37 पी.बी. एन. के पत्थर न. 43/378 के किला न. 12/2 मे .005 हैक रकबा खातेदारी है, जिसमें टयूबवैल लगा हुआ है। प्रार्थीगण के नाम से ही इस चक से चिपती रोही कस्बा सूरतगढ की जमाबन्दी के खसरा न 344 में 1.075 हैक बारानी रकबा खातेदारी रकबा है। यह रकबा केवल वर्षा पर आधारित है पानी की भयकरं कमी है इसलिये प्रार्थीगण ने अपने चक 37 पी..बी.एन.के पत्थर न. 43/378 के किला न. 12/2 मे लगे हुऐ टयुबवेल से पाईप लाईन जोड़कर यह पाईप लॉइन रोही कस्बा सूरतगढ के खसरा न 345, 347, 348 के रकबा राज रकबा मे से जमीन मे से करीब चार फुट गहरी दबाकर इस पाईप लाईन से प्रार्थीगण अपने रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 344 की भूमि 1.075 हैक. खातेदारी रकबा को टयूबवैल का पानी दिया जाता है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी न. 1 के कमिक पटवारी हल्का ने यह पाईप लाईन हटवाने व जमीन से निकालने का कह रहा है व पाईप लाईन तोड़ने की भी धमकी दे रहा है इसलिये रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 345 के 0.759 हैक. व खसरा न. 346 के 0.506 हैक. खसरा न. 347 का 0.759 हैक. व खसरा न. 348 के 1.012 हैक. रकबा में से दबी हुई गहरी पाईप लाईन कि स्वीकृति जारी की जावे व अप्रार्थी न. 1 को इस सम्बधं में पाबन्ध किया जावे कि वो पाईप लाईन को कोई नुकसान नही पहुचाये।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र पर तहसील सूरतगढ़ से मौका एंव रिकॉर्ड की रिपोर्ट मगवाई गई इस रिपोर्ट के अनुसार रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 344 के 1.075 हैक. रकबा में मौका पर बाध लगे हुये तथा चक 34 पीबीएन में प्रार्थी ने टयूबवैल से पाईप लाईन लेकर रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 353 में 7.10 बीघा लम्बा व खसरा न. 348 में 4.00 बीघा लम्बाई व खसरा न. 346 मे 7.00 बीघा लम्बाई में व खसरा न. 345 में 4.00 बीघा लम्बाई में मौका पर जमीन में पाईप लाईन दबी हुई है। जो मौका पर चालू है।

तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात पत्रावली को दर्ज रजिस्टर

क्रमश पेज ..... 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:55:38 IST
Reason: SelfAttested

किया गया व बहस सुनी गई व पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के नाम से चक 37 पीबीएन के पत्थर न. 43/378 के किला न. 12/2 में 0.005 हैक. रकबा खातेदारी है जिसमें प्रार्थी का टयूबवैल लगा हुआ है व रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 344 के 1.075 हैक. बारानी रकबा में प्रार्थीगण का बाघ लगा हुआ है इस बाग में सिचाई हेतु खसरा न. 353, 348, 346, 345 में से 4 फुट गहरी पाईप लाईन दबी हुई है जिससे इस बाग को सिचित कर रहे है। यह पाईप लाईन पूर्व में दबी हुई है चुकि प्रार्थीगण इस दबी हुई पाईप लाईन की प्राथीगण स्वीकृति चाह रहे है ताकि इस पाईप लाईन को कोई भी व्यक्ति नुकसान नही पहुचा सके चुकि पाईप लाईन तो पूर्व में दबी हुई है इसलिये जहा – जहा से पाईप लाईन दबी हुई है वहा – वहा अब और किसी भी हितबद्व का नुकसान होने की सम्भावना नही है तथा दबी हुई पाईप लाईन के लिये कोई प्रतिकर देना उचित नही समझता हूँ व पूर्व में दबी हुई पाईप लाईन की स्वीकृति दिया जाकर उसे वैध घोषित करना उचित समझता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर चक 37 पीबीएन के पत्थर न. 43/378 के किला न. 12/2 के 0.005 हैक. में लगे टयूबवैल से प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 344 के 1.075 हैक. बारानी रकबा तक रोही कस्बा सूरतगढ़ के रकबा आराजी के खसरा न. 348 में 4.00 बीघा लम्बाई में व खसरा न. 346 में 7.00 बीघा व खसरा न. 345 में 4.00 बीघा लम्बाई में दबी हुई पाईप लाईन की स्वीकृति जारी की जाती है तथा अप्रार्थी को पाबन्ध किया जाता है कि वो प्रार्थीगण की दबी हुई पाईप लाईन को कोई नुकसान ना पहुचाये व भविष्य में पाईप लाईन के आकस्मिक अकारण टूटने पर प्रार्थीगण इस पाईप लाईन को अपने खर्चे पर तुरन्त मरम्मत करेगे।

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक जिलाधीश,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 16:55:38 IST
Reason: SelfAttested